

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 12/2014
RCMS Case No. 2014/00166

सायल :-
सरकार जरिये जिला पुलिस
अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल:-
कालूराम पुत्र जगताजी जाति देवासी निवासी
वेनपुरा पुलिस थाना साण्डेराव

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक गैरसायल

:: निर्णय ::

दिनांक :- 27.03.2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 03.03.2014 को गैरसायल कालूराम पुत्र जगताजी जाति देवासी निवासी वेनपुरा पुलिस थाना साण्डेराव के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना साण्डेराव, पाली का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2002 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। समस्त प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	मु0न0	धारा	नाम न्यायालय	निर्णय
1	16/28.01.2002	457, 380 भा.द.स.	J M Court Sumerpur	08.04.2003 सजा
2	30/23.03.2006	457, 380/511 भा.द.स.	J M Court Sumerpur	पेन्डिंग
3	41/17.04.2006	16/54 आबकारी अधिनियम	J M Court Sumerpur	पेन्डिंग
4	109/16.08.2009	16/54 आबकारी अधिनियम	J M Court Sumerpur	21.11.2013 को ए0सी0जे0एम0 साहब सुमेरपुर द्वारा 4 पी0ओ0 एक्ट पाबन्द
5	143/10.11.2011	16/54 आबकारी अधिनियम	J M Court Sumerpur	पेन्डिंग
6	63/21.06.2012	19/54 आबकारी अधिनियम	ACJ M Court Sumerpur	दि0 23.11.2013 को 300 रूपये जुर्माना
7	119/30.10.2012	20/54 आबकारी अधिनियम	J M Court Sumerpur	01.12.2012 जे.एम. साहब सुमेरपुर द्वारा 4 पी0ओ0 एक्ट पाबन्द
8	100/07.08.2013	20/54 आबकारी अधिनियम	ACJ M Court Sumerpur	03.09.2013 ए.सी.जे.एम. साहब सुमेरपुर द्वारा 4 पी.ओ. एक्ट पाबन्द

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल कालूराम पुत्र जगताजी जाति देवासी निवासी वेनपुरा पुलिस थाना साण्डेराव अवैध शराब के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली



प्रवृत्ति में लिप्त है। जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

सायल पक्ष की ओर से गवाह श्री राजेन्द्रसिंह तत्कालीन एस.एच.ओ. साण्डेराव ने अपने बयानों में जाहिर किया कि गैरसायल के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न प्रकरण दर्ज है। गैर सायल आदतन अपराधी है, जो सजा के बावजूद अपराध करने से बाज् हीं आ रहा है। गवाह ने अपने बयानों में दस्तावेजी साक्ष्य परीक्षित करवाये, जो प्रदर्श-1 से प्रदर्श-10 है।

ए0पी0पी0 एवं विद्वान अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना साण्डेराव का अब्बल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

वकील गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गैरसायल किसी भी रूप में अवैध शराब का धन्धा नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यु0 2002 (4) पेज 2181 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 276/2013 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2013 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 5000 रुपये की जमानत एवं 300 रुपये के अभियोजन व्यय जमा कराने हेतु आदेशित किया। इसी प्रकार माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 311/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2013 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम



की धारा 19/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 5000 रुपये की जमानत एवं 300 रुपये के अभियोजन व्यय जमा कराने हेतु आदेशित किया। इसी प्रकार माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर द्वारा दाण्डिक मूल प्रकरण संख्या 735/2013 राजस्थान राज्य बनाम कालूराम में दिनांक 03.09.2013 को निर्णय पारित करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 20/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया तथा 5000 रुपये की जमानत एवं 200 रुपये के अभियोजन व्यय जमा कराने हेतु आदेशित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल कालूराम पुत्र जगताजी जाति देवासी निवासी वेनपुरा पुलिस थाना साण्डेराव को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना साण्डेराव, पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात् दिनांक 11.04.2018 से 30 दिन के लिये पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली में सप्ताह में एक बार अर्थात् 30 दिन में चार बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी बगडी नगर जिला पाली गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल कालूराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव, गैरसायल कालूराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना बगडी नगर जिला पाली की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी बगडी नगर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी साण्डेराव पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना साण्डेराव एवं थानाधिकारी बगडी नगर पाली को भिजवाई जावे।




अतिरिक्त (भागीरथ बिश्नोई) डेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अतिरिक्त (भागीरथ बिश्नोई) डेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली